क्रम-संख्या–172(ग)

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू०/एन०पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, शुक्रवार, 31 अगस्त, 2022 ई0
(भाद्रपद 9, 1944 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश, शासन

ऊर्जा विभाग

[ऊर्जा (नि०नि०) प्रकोष्ठ]

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

अधिसूचना संख्या यू०पी०ई०आर०सी०/सचिव/विनियमावली/2022-370

लखनऊ, दिनांक : 31 अगस्त, 2022 ई0

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, (उत्पादन प्रशुल्क के निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, 2019 में प्रथम संशोधन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और इस सम्बन्ध में सक्षम अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये और पिछले प्रकाशन के उपरान्त, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन प्रशुल्क के निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, 2019 अधिसूचना संख्या–यूपीईआरसी/सचिव/उत्पादन विनियमावली, 2019/343A लखनऊ दिनांक 11.09.2019 में संशोधन करने के लिये बनायी जाती है, अर्थात् :–

1–संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ–

1.1–यह विनियमावली को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2022 कहलायगी।

1.2—यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

संशोधन

(क) मौजूदा विनियमावली 24(i) ''अंशपूंजी पर वापसी'' को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है :—

विनियमावली 24(i) अंशपूंजी पर वापसी

मौजूदा विनियमावली	संशोधित विनियमावली
24(i) अंशपूंजी पर वापसी की गणना इस विनियमावली के अनुसार 15% प्रतिवर्ष की दर से अंशपूंजी आधार पर रूपयों में की जायेगी।	24(i) अंशपूंजी पर वापसी की गणना इस विनियमावली के अनुसार 15% प्रतिवर्ष की दर से अंशपूंजी आधार पर रूपयों में की जायेगी।
परन्तु नई परियोजना की वापसी की दर ऐसी अवधि के लिये 1% तक घटायी जाएगी जैसा आयोग द्वारा निश्चित किया जाए, यदि उत्पादन गृह को वाणिज्यिक परिचालन के अधीन घोषित किया जाए और यह किसी प्रतिबंधित गति—अधिनियंत्रक प्रणाली परिचालन आरजीएमओ की स्थापना के बिना हो या स्वतंत्र अधिनियंत्रक प्रणाली एफजीएमओ परिचालन हो , डाटा टेलीमीटरी, भार प्रेशण केन्द्र तक संचार प्रणाली या राज्य भार प्रेशण केंद्र की रिर्पाट पर आधारित सुरक्षा प्रणाली के बिना हो।	परन्तु नई परियोजना की वापसी की दर ऐसी अवधि के लिये 1% तक घटायी जाएगी जैसा आयोग द्वारा निश्चित किया जाए, यदि उत्पादन गृह को वाणिज्यिक परिचालन के अधीन घोषित किया जाए और यह किसी प्रतिबंधित गति—अधिनियंत्रक प्रणाली परिचालन आरजीएमओ की स्थापना के बिना हो या स्वतंत्र अधिनियंत्रक प्रणाली एफजीएमओ परिचालन हो , डाटा टेलीमीटरी, भार प्रेषण केन्द्र तक संचार प्रणाली या राज्य भार प्रेषण केंद्र की रिर्पाट पर आधारित सुरक्षा प्रणाली के बिना हो।
परंतु यह भी जैसे ही और जब ऊपर वर्णित किसी अपेक्षा का विद्यमान उत्पादन गृह में अभाव पाया जाए। इसका आधार राज्य भार प्रेशण केंद्र की रिपोर्ट होगी तो आर ओ ई में ऐसी अवधि के लिये जिसे आयोग द्वारा निश्चित किया जाए 1% तक कमी की जा सकती है।	परंतु यह भी जैसे ही और जब ऊपर वर्णित किसी अपेक्षा का विद्यमान उत्पादन गृह में अभाव पाया जाए। इसका आधार राज्य भार प्रेषण केंद्र की रिपोर्ट होगी तो आर ओ ई में ऐसी अवधि के लिये जिसे आयोग द्वारा निश्चित किया जाए 1% तक कमी की जा सकती है।
स्पष्टीकरणः परियोजना का धन जुटाने के लिये, उत्पादन कंपनी के फ्री रिजर्व से यदि कोई हो, सृजित अंशपूंजी जारी करने, आंतरिक संसाधनों से विनिधान करने के वास्ते उत्पादन कंपनी द्वारा प्राप्त प्रतिफल की भी अंशपूंजी पर वापसी की गणना के प्रयोजन के लिये पेड अप पूंजी के रूप में गणना की जाएगी, परंतुक ऐसी प्रतिफल धनराशि और आंतरिक संसाधनों का प्रयोग वास्तव में उत्पादन कंपनी के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिये किया जाए और अनुमोदित वित्तीय पैकेज का भाग रहे।	**स्पष्टीकरणः** परियोजना का धन जुटाने के लिये, उत्पादन कंपनी के फ्री रिजर्व से यदि कोई हो, सृजित अंशपूंजी जारी करने, आंतरिक संसाधनों से विनिधान करने के वास्ते उत्पादन कंपनी द्वारा प्राप्त प्रतिफल की भी अंशपूंजी पर वापसी की गणना के प्रयोजन के लिये पेड आप पूंजी के रूप में गणना की जाएगी, परंतुक ऐसी प्रतिफल धनराशि और आंतरिक संसाधनों का प्रयोग वास्तव में उत्पादन कंपनी के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिये किया जाए और अनुमोदित वित्तीय पैकेज का भाग रहे।
	परन्तु यह कि उत्पादन कंपनी को अपनी परियोजना के सीओडी वर्ष के लेखा परीक्षित खातों की तिथि के 90 दिनों के अन्दर अथवा आयोग द्वारा परियोजना की पूंजीगत लागत के निर्धारण के 180 दिनों के अन्दर, जो

मौजूदा विनियमावली	संशोधित विनियमावली
	भी बाद में हो, नियत प्रारूप में अंतिम प्रशुल्क याचिका दायर करने की आवश्यकता होगी, ऐसा नही किये जाने पर अंशपूंजी पर वापसी को 0.25 प्रतिशत प्रति माह या उसके किसी हिस्से तक, कम कर दिया जायेगा, जिसका कोई भी प्रभाव विद्युत अधिनियम, 2003 तथा आयोग के अन्य विनियम, जिसमें यूपीईआरसी (शुल्क और जुर्माना) विनियम, 2010 (यथा संशोधित) भी शामिल है, किन्तु उस तक ही सीमित नहीं है, के अन्तर्गत किसी भी जुर्माने या दण्ड पर नहीं होगा।

(ख) मौजूदा विनियमावली 16(2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

विनियमावली 16(2) 2019–24 की अवधि के लिये पूंजीगत व्यय और टैरिफ को सही करना

मौजूदा विनियमावली	संशोधित विनियमावली
(2) इस विनियमावली के परिशिष्ट–2 के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रारूप में हार्ड और साफ्ट प्रति के साथ उत्पादन कंपनी आवेदन करेगी। यह आवेदन उत्पादन गृह या उसकी किसी ईकाई या इकाइयों के समूह के संबंध में 30.11.2024 तक सत्यापन कार्य पूरा करने के लिये होगा।	(2) इस विनियमावली के परिशिष्ट–2 के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रारूप में हार्ड और साफ्ट प्रति के साथ उत्पादन कंपनी आवेदन करेगी। यह आवेदन उत्पादन गृह या उसकी किसी ईकाई या इकाइयों के समूह के संबंध में 30.11.2024 तक सत्यापन कार्य पूरा करने के लिये होगा। परन्तु यह कि सत्यापन आवेदन (ट्रूअप) के साथ अपेक्षित अभिलेख समय सीमा के अन्दर यानी 30.11. 2024 तक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो सत्यापन अवधि के दौरान कम–वसूली गई राशि के लिये उत्पादन कंपनी को कोई रखाव लागत/ब्याज की अनुमति नहीं दी जायेगी। हालांकि, सत्यापन अवधि के दौरान अधिक वसूली गई राशि और सत्यापन आवेदन (ट्रूअप) के साथ अपेक्षित अभिलेखों को देर से दाखिल करने के मामले में, अधिशेष (सरप्लस) राशि के साथ रखाव लागत/ब्याज विनियम संख्या 16(4) के अनुसार वसूल की जायेगी।

आयोग के आदेशानुसार,
डा0 संजय कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग,
लखनऊ।

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

No. UPERC/Secy./Regulation/2022-370

Lucknow: dated August 31, 2022

NOTIFICATION

FIRST AMENDMENT TO UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS OF GENERATION TARIFF) REGULATIONS, 2019

In exercise of powers conferred under section 181 of the Electricity Act, 2003 read with Section 61 of the electricity Act'03 and all other powers enabling in this behalf, and after previous publication, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following Regulations to amend the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Generation Tariff) Regulations, 2019, vide Notification No. UPERC/Secy./ Generation Regulations, 2019/343A Lucknow dated 11.09.2019, namely: -

1. Short Title and Commencement–

1.1 These Regulations may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Generation Tariff) (First Amendment) Regulations, 2022.

1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of the Uttar Pradesh Government.

AMENDMENT

(A) The existing Regulation 24 (i) "Return on Equity" shall be replaced by following:

Regulation 24 (i) Return on Equity

Existing Regulation	***Amended Regulation***
24(i) Return on equity shall be computed in rupee terms on the equity base determined in accordance with these Regulations @15% per annum;	24(i) Return on equity shall be computed in rupee terms on the equity base determined in accordance with these Regulations @15% per annum;
Provided that the rate of return of a new project shall be reduced by up to 1% for such period as may be decided by the Commission, if the generating station is found to be declared under commercial operation without commissioning of any of the Restricted Governor Mode Operation (RGMO) or Free Governor Mode Operation (FMGO), data telemetry, communication system up to load dispatch center or protection system based on the report submitted by SLDC;	Provided that the rate of return of a new project shall be reduced by up to 1% for such period as may be decided by the Commission, if the generating station is found to be declared under commercial operation without commissioning of any of the Restricted Governor Mode Operation (RGMO) or Free Governor Mode Operation (FMGO), data telemetry, communication system up to load dispatch centre or protection system based on the report submitted by SLDC;
Provided also that as and when any of the above requirements are found lacking in an existing generating station based on the report submitted by the SLDC, RoE may be reduced by up to 1% for such period as may be decided by the Commission;	Provided also that as and when any of the above requirements are found lacking in an existing generating station based on the report submitted by the SLDC, RoE may be reduced by up to 1% for such period as may be decided by the Commission;

Existing Regulation	*Amended Regulation*
Explanation: The premium raised by the generating company while issuing share capital and investment of internal resources created out of free reserve of the generating company, if any, for the funding of the project, shall also be reckoned as paid up capital for the purpose of computing return on equity, provided such premium amount and internal resources are actually utilized for meeting the capital expenditure of the generating station and forms part of the approved financial package.	**Explanation:** The premium raised by the generating company while issuing share capital and investment of internal resources created out of free reserve of the generating company, if any, for the funding of the project, shall also be reckoned as paid up capital for the purpose of computing return on equity, provided such premium amount and internal resources are actually utilized for meeting the capital expenditure of the generating station and forms part of the approved financial package. Provided further that a Generating Company, shall be required to file Final Tariff Petition, in prescribed format, within 90 days of date of audited accounts of the year of its Project's COD or within 180 days of determination of its Project's Capital Cost by the Commission; whichever is later, failing which the rate of return on equity shall be reduced by 0.25% per month or part thereof without prejudice to any other fine or penalty to which it may be liable under Electricity Act, 2003 and other Regulations of the Commission including but not limited to UPERC (Fees & Fines) Regulations, 2010, as amended from time to time.

B. The existing Regulation 16(2) shall be replaced by following:–

Regulation 16(2) Truing up of Capital Expenditure and tariff for the period 2019-24

Existing Regulation	*Amended Regulation*
(2) The generating company shall make an Application in hard and soft copy in specified format as per Appendix II to these Regulations, for carrying out Truing up exercise in respect of the generating station or any of its units or block of units thereof by 30.11.2024.	(2) The generating company shall make an Application in hard and soft copy in specified format as per Appendix II to these Regulations, for carrying out Truing up exercise in respect of the generating station or any of its units or block of units thereof by 30.11.2024. Provided that in case of truing up application along with requisite documents is not submitted within timeline i.e., by 30.11.2024; no carrying cost / interest shall be allowed to the generating company for the under-recovered amount during the True-up period. However, in case of over - recovered amount during the True-up period and delayed filing of True-up application along with requisite documents, the surplus amount with carrying cost / interest shall be recovered in terms of Regulation 16(4) along with surplus amount.

By the order of the Commission,
Dr. SANJAY KUMAR SINGH,
Secretary,
U. P. Electricity Regulatory Commission.

पी0एस0यू0पी0-22 असाधारण गजट-30.09.2022-152 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।